प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला : भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम थाना : सी.पी.एस. भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.सं. .....84/2022..... दिनांक .....9/3/2022.....

2. (i) अधिनियम – धारा – 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी. भा.द.स.
(ii) अधिनियम – भा.द.सं. –
(iii) अधिनियम – धारायें –
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....188..... समय .....6:35 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन व समयः सोमवार दिनांक 07–3–22 समयः 2.38 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 25–2–2022

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित

5. घटना स्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी : उत्तर/पश्चिम दिशा में करीब 55 किमी.
(ब) पता : गांधीचोक के पास पंकज प्रिंटिंग प्रेस के उपर प्रथम तल पर स्थित सरकारी आवास अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आसींन्द।
.....–..... बीट संख्या .....–.....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....–..... जिला .....–.....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :
(अ) नाम : – श्री देवीलाल साहु
(ब) पिता का नाम : – श्री मोडीराम
(स) जन्म तिथि/वर्ष : – 42 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता : – भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या .....–..... जारी होने की तिथि .....–.....
जारी होने की जगह .....–.....
(र) व्यवसाय : – खेती
(ल) पता : – निवासी आसींन्द जिला भीलवाड़ा।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री पिन्टुलाल पुत्र श्री जमना लाल उम्र 36 वर्ष निवासी देवविहार कॉलोनी गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा हाल अधिशाषी अधिकरी नगरपालिका आसींन्द जिला भीलवाड़ा।
2. श्री सुरेन्द्रकुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द उम्र 21 वर्ष निवासी केलु तहसील मसुदा जिला अजमेर (प्राईवेट व्यक्ति) निजी कार चालक श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आसींन्द जिला भीलवाड़ा।

8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण : कोई विलम्ब नहीं

9. चुराई हुई/संलप्ति सम्पत्ति का विवरण(अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)

क्र.सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तुस्थिति
1	भारतीय चलन मुद्रा	125000 रूपये	आरोपीगणों द्वारा परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि 125000 रूपये बरामद की गई।

10. चुराई हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य : –
11. मर्ग सूचना/अप्राकृतिक मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो : –
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (मजमून) (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे):

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम

विषय : कानूनी कार्यवाही कराने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्रार्थी श्री देवीलाल पुत्र श्री मोडीराम जी साहु निवासी आसीन्द जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे आसीन्द भीलवाड़ा रोड़ पर स्थित भुखण्ड पर निर्माण स्वीकृति के लिए मैंने नियमानुसार नगरपालिका आसीन्द में दिनांक 31.12.2021 को आवेदन कर रखा है। मेरी निर्माण स्वीकृति की पत्रावली कार्यालय न. पा. आसीन्द में पेण्डिंग चल रही है। और इसी दौरान् न.पा. आसीन्द में पदस्थापित श्री पिन्टूलाल जाट अधिशाषी अधिकारी न. पा. आसीन्द मेरे पास दो–तीन बार आये और मेरे से उक्त निर्माण स्वीकृति देने के एवज में दो लाख रूपये रिश्वत राशी की मांग की गई। मेरे द्वारा जायज काम के बदले रिश्वत राशि देने के लिए मना किया तो उन्होने कहा कि एक लाख पैत्तीस हजार आज ही दो और बाकी के पैसे बाद में दे देना इस पर उन्होने कहा कि रिश्वत के रूपये नही दोगे तो तुम्हारी निर्माण स्वीकृति जारी नही करूंगा। उसके बाद श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी न. पा. आसीन्द ने मेरे को उनके हस्ताक्षर से जारी नोटिस संख्या 5525 दिनांक 22.02.22 बिना निर्माण स्वीकृति के सम्बन्ध में दिया गया जिसके बाद मैं श्री पिन्टुलाल जी से मिला तो उन्होने कहा कि आपने मेरी मांग के अनुसार रूपये नही दिये इसलिये नोटिस दिया गया है तथा अब नोटिस फाईल करवाना है एवं निर्माण स्वीकृति जारी करानी है तो एक लाख पच्चास हजार रूपये देने पड़ेंगे।

मैं मेरे जायज काम के बदले रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ और पिन्टूलाल अधिशाषी अधिकारी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करावे।

दिनांक
25/02/2022

प्रार्थी
सही/–
(देवीलाल पिता मोडीराम जी साहु नि.
आसीन्द जि. भीलवाड़ा–9928045624)

1. श्री मनीषकुमार–सही/–
2. श्री मुकेशकुमार–सही/–

कार्यवाही पुलिस
भ्र. नि. ब्यूरो, भीलवाड़ा–प्रथम

दिनांक : 25–02–22 समय : 11.00 ए.एम.

इस वक्त परिवादी श्री देवीलाल साहु निवासी आसीन्द जिला भीलवाड़ा ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा–प्रथम पर उपस्थित होकर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम के समक्ष एक हस्तलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी की उपरोक्त लिखित रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया। परिवादी ने उक्त रिपोर्ट में अंकित किया कि '' मैं प्रार्थी श्री देवीलाल पुत्र श्री मोडीराम जी साहु निवासी आसीन्द जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे आसीन्द भीलवाड़ा रोड़ पर स्थित भुखण्ड पर निर्माण स्वीकृति के लिए मैंने नियमानुसार नगरपालिका आसीन्द में दिनांक 31.12.2021 को आवेदन कर रखा है। मेरी निर्माण स्वीकृति की पत्रावली कार्यालय न. पा. आसीन्द में पेण्डिंग चल रही है। और इसी दौरान् न.पा. आसीन्द में पदस्थापित श्री पिन्टूलाल जाट अधिशाषी अधिकारी न. पा. आसीन्द मेरे पास दो–तीन बार आये और मेरे से उक्त निर्माण स्वीकृति देने के एवज में दो लाख रूपये रिश्वत राशी की मांग की गई। मेरे द्वारा जायज काम के बदले रिश्वत राशि देने के लिए मना किया तो उन्होने कहा कि एक लाख पैत्तीस हजार आज ही दो और बाकी